न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 88/2021 जिला टोंक

रामगोपाल पुत्र हरिराम जाति छीपा निवासी ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सोप तहसील उनियारा जिला टोंक।

.....रेस्पोडेण्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय टोंक दिनांक 25.11.2021 अपील संख्या 31/2020 उनवानी रामगोपल बनाम सरकार में पारित किया गया।

.....

उपस्थित अभि0:–श्री गिरीश पारीक(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय **दिनांकः–30.09.2022**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 हे0, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.5 हे0 , खसरा नम्बर 2125 रकबा 0.22 हे0 , खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.86 हे0 भूमि को तथा राजकीय कुएं को भरकर समतल कर आराजी पर अतिक्रमण कर लिया। इस आशय के साथ वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध एल0आर0एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए नायबतहसीलदार सोप नें अपने आदेश दिनांक 14.10. 2019 के द्वारा अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील 31/2020 जिला कलक्टर टोंक के यहां प्रस्तुत की। जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2021 से अपील को खारिज किया। वर्तमान निगरानी निम्न आधारों पर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है–

1. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश नियम एवं रिकोर्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील करवायें एवं बिना सुनवाई सरसरी तौर पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय दिया है जो गलत है।
3. अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही होते हुए भी उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिया जो गलत है।
4. पटवारी रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है।
5. अपीलांट का कोई कब्जाकाश्त नहीं है फिर भी सिविल कारावास की सजा सुनाई है। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: Self Attested

अतः दोनो अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 एवं 25.11.2019 निरस्त किये जाकर अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त अपील मीमौ के साथ प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील के साथ जिला कलक्टर टोंक के निर्णय 25.11.2021 तथा नायब तहसीलदार सोंप के निर्णय दिनांक 14.10.2019 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत किये।

अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, वकील अपीलांट के अनुसार दिनांक 16.02.2022 को बेदखली की गई है। मौका रिपोर्ट में अन्य का कब्जा बताया है। राजकीय अभि0 के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। अपीलांट अतिक्रमी है। अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को जारी हुआ है और अपीलांट द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अपील इस न्यायालय में दर्ज करवा दी गई है। अतः अपील मियाद अवधि में होना पायी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी का भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है और कभी भी भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। यदि उसे जेल भेज दिया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 25.11.2021 की पालना को अपील के निस्तारण तक स्थगित रखा जायें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अपीलांट के सिविल कारावास की सजा को अंतरिम रूप से स्थगित किया गया।

बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम नायब तहसीलदार सोप के निर्णय दिनांक 14.10.2019 प्रकरण संख्या 734/2019 का अवलोकन किया। उक्त निर्णय के अनुसार अतिक्रमी को खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 हे0, 2123 रकबा 0.05 हे0 गैर मुमकिन कुआं,2125 रकबा 0.22 हे0, 2126 हे0 रकबा 0.13 हे0, 2127 रकबा 0.16 हे0 कुल रकबा 0.86 हे0 पर नाजायज कब्जा करने तथा सरकारी कुएं को धवस्त कर समतल कर देने तथा पूर्व प्रकरण 1202/2019 हे0 में बेदखली की वजह से अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए उक्त खसरा नम्बर से बेदखल करने , जुर्माना राशि भरने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का के बयान का अवलोकन किया गया। उक्त बयान के उपर मिसल संख्या 729 अंकित की हुई है। उक्त बयान किस दिनांक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

लिये गये है यह कहीं अंकित नही किया गया है। उक्त बयानों के साथ पूर्व प्रकरण संख्या 1202/19 निर्णय दिनांक 28.02.2019 संलग्न है। जिसमें अतिक्रमी रामगोपाल पुत्र हरिराम बताया गया है। चार खसरा नम्बर 2124,2125,2126,2127 रकबा 0.81 हे0 अंकित किया हुआ है। संवत 2075 दर्ज किया हुआ है। उक्त निर्णय में जो प्रिटेंड फोर्म में है बेदखल करने ,फसल जब्त कर नीलाम करने तथा पैनल्टी लगाये जाने के आदेश दिये है।

उक्त प्रकरण की पटवारी रिपोर्ट में प्रकरण संख्या 703/2019 दर्ज है। अतिक्रमी के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज है। संवत 2074 अंकित है। खसरा नम्बर 2124,2123,2125,2126,2127 अंकित किये है। रकबा 0.86 हे0 अंकित है। परंतु नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्णय में प्रकरण संख्या 734/2019 अंकित की हुई है। जबकि पटवारी रिपोर्ट में प्रकरण संख्या 703/2019 दर्ज है। नायब तहसीलदार सोंप द्वारा जारी नोटिस दिनांक 27.09.2019 में भी प्रकरण संख्या 703/2019 दर्ज किया हुआ है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 734/19 मानते हुए नायब तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखा है। अतः प्रकरण संख्या बाबत एम्बीग्यूटी है।

पत्रावली पर संवत 2075 से संबंधित प्रकरण संख्या 1202/19 में नायब तहसीलदार का निर्णय पटवारी रिपोर्ट तथा प्रकरण में प्रेषित नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस उपलब्ध है। **मगर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट अतिक्रमी को कब्जे से बेदखल किया गया हों, प्रदर्शित होता हो। अतः नायब तहसीलदार सोप द्वारा दिया गया यह निर्णय है कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया है।**

जिला कलक्टर टोंक की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा अपनी बीमारी से संबंधित चिकित्सा से संबंधित पत्र आदि प्रस्तुत किये है। वह एक सिनियर सिटीजन है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 के अनुसार वर्तमान में विवादित खसरा नम्बरान पर कोई फसल नहीं है तथा किसी अन्य व्यक्ति (विशाल पुत्र गोपाल लाल नामा) का कब्जा बताया है। दिनांक 21.02.2022 की पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। फसल बोकर अतिक्रमण करना बताया गया है।

स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 में अतिक्रमी किस प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमी है यह सिद्ध नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 जारी किया था जिसे न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा बहाल रखा गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं सिविल कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा बहाल रखा गया था, अतिक्रमी किस प्रकार से पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, इस बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य

दोनो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नहीं है। स्वतंत्र गवाहों का अभाव है। सिर्फ पटवारी के बयान दर्ज किये गये है। जिस पर भी किसी तारीख का अंकन नहीं है। वर्तमान में अपीलांट का कोई अतिक्रमण वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। अतः न्यायालय समग्र विवेचन के बाद अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित मानता है। न्यायालय ,अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सुनाई गई सिविल कारावास की सजा के आदेश एवं जिला कलक्टर टोंक द्वारा बहाल रखी गयी सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाना उचित समझता है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील (विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 25.11.2021 अपील संख्या 31/2020 उनवानी रामगोपल बनाम सरकार) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सुनाई गई सिविल कारावास की सजा एवं जिला कलक्टर टोंक द्वारा बहाल रखी गयी सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested